

किंग काउंटी रेन्टल आसिस्टन्स (किराये में सहायता)

निधियन हर ज़रूरतमंद किरायेदार के लिए उपलब्ध नहीं है।

किरायेदार की पात्रता इस बात की गारंटी नहीं है कि उन्हें सहायता प्राप्त होगी।

प्रोग्राम की रूपरेखा:

किंग काउंटी तेज़ी से जितने संभव हों उतने घरों को सेवा प्रदान करने के लिए अनेक रवैयों का उपयोग करेगी। रेन्टल आसिस्टन्स प्रोग्राम कुछ बड़ी मकान मालिक संपत्तियों और निर्मित होम पार्क्स को पात्र किरायेदारों को थोक भुगतान चुकाएगा। इसके अलावा काउंटी उन छोटे मकानमालिकों जिनके पात्र किरायेदार सहायता के लिए पात्र हों उन्हें एक लॉटरी प्रक्रिया द्वारा रेन्टल आसिस्टन्स बाँटने का प्रयास करेगी। निधियन के लिए किंग काउंटी के सर्वाधिक-आवश्यकता वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रोग्राम को पूरी तरह लॉन्च करने के तीन सप्ताह बाद, किंग काउंटी सेवा प्रदान किए जा रहे घरों की समीक्षा कर के सुनिश्चित करेगी कि प्रोग्राम समुदाय की ज़रूरतों और प्रोग्राम के उद्देश्यों और लक्ष्यों को पूरा कर रहा है।

किरायेदारों की पात्रता: किरायेदारों को निम्नलिखित पात्रता आवश्यकताओं में से दोनों को पूरा करना होगा:

1. आय पिछले 60 दिनों के दौरान एरिया मीडियन इनकम (क्षेत्रीय मध्य आय) के 50% पर या उससे कम हो; और
2. 1 मार्च 2020 से लेकर अब तक कम से कम एक महीने का किराया न चुकाया हो या आंशिक रूप से चुकाया हो

उपरांत, किरायेदारों को निम्नलिखित में से एक या अधिक ज़रूरतों को पूरा करना होगा।

1. किराये का बोझ हो: मौजूदा आय का 50% या अधिक किराया चुकाने के लिए ज़रूरी है।
2. पिछले पाँच वर्षों में पहले बेघर रह चुके हों; इसमें काउच सर्फिंग/डबल अप के अनुभव शामिल हैं।
3. पिछले सात वर्षों में मकान से निकाले जाने का इतिहास हो।
4. परिवार के किसी सदस्य की जाति, मूल वंश, लैंगिक पहचान, यौन विन्यास या धर्म के कारण निवास में खलल हुआ हो।
5. CDC के अनुसार तीव्र बीमारी के जोखिम पर हों (62 वर्षीय या अधिक आयु वाले, पहले ही कोई बीमारी हो)।
6. परिवार के किसी सदस्य की अक्षमता। इसमें कोई शारीरिक, मानसिक, विकास संबंधी या भावनात्मक बाधा शामिल है, जिसमें शराब या नशीले पदार्थों के अत्यधिक सेवन के कारण होने वाली बाधा, पोस्ट-ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर या दीमाग की चोट शामिल हैं। एचआईवी/एड्स वाले व्यक्ति को अक्षम माना जाता है।

मकानमालिक के लिए शर्तें:

निधियन प्राप्त करने की शर्त के रूप में, मकानमालिकों को इसके लिए सहमत होना होगा:

1. हिस्सा ले रहे किरायेदार की ओर से तीन महीने का रेंटल आसिस्टन्स इनमें से जो भी कमतर हो उसके आधार पर स्वीकार करना: (A) तीन महीनों के लिए अन्यथा लागू किराये का 80%; या (b) तीन महीनों के लिए वाजिब बाज़ार किराया। किरायेदार का तीन महीने से अधिक बकाया कोई भी किराया माफ कर दिया जाना चाहिए। अगर किराये की बकाया राशि तीन महीने से कम की हो, तो सहायता पिछली बकाया राशि और भावी किराये को मिलाकर तीन महीने तक के लिए चुकाया जा सकता है, और यह दिसम्बर 2020 से अधिक समय तक का नहीं होना चाहिए।
2. कोई अच्छा कारण न हो, तो 31 मार्च 2021 तक हिस्सा ले रहे किरायेदार की किरायेदारी समाप्त न करना या उसे रिन्यु करने से इन्कार न करना।
3. इस प्रोग्राम द्वारा जिनकी सेवा हो रही है ऐसे किरायेदारों के लिए 31 मार्च 2021 तक किराया न बढ़ाना।

अगर कोई किरायेदार पात्र न हो और/या अगर मकानमालिक शर्तें स्वीकार न करे, तो परिवार को सेवा प्रदान नहीं की जाएगी।

रेन्टल आसिस्टन्स में रुचि रखने वाले किरायेदार

अगर आप पात्रता आवश्यकताएं पूरी करते हैं, तो कृपया [यह फॉर्म](#) भर कर किंग काउंटी रेन्टल आसिस्टन्स (किराये में सहायता) प्रोग्राम में अपनी रुचि जमा करें। यह आवेदन नहीं है। किरायेदारों को प्रति सप्ताह लॉटरी द्वारा चुना जाएगा। लॉटरी 14 सितम्बर 2020 को लॉन्च की जाएगी। अगर आपको लॉटरी में चुना जाए, तो एक समुदाय आधारित संगठन आपसे संपर्क करेगा, जो कि आवेदन को पूरा करने में आपकी मदद करेगा।

अगर आप लॉटरी में चुने न जाएं, तो आप रुचि रखने वाले किरायेदारों के पूल में रहेगें और निधि पूरी खर्च हो जाए तब तक सभी बाद की लॉटरियों के लिए पात्र रहेंगे। जिन किरायेदारों को नहीं चुना गया है उन्हें 14 सितम्बर 2020 के बाद हर शुक्रवार को ईमेल मिलेगा जो उनकी स्थिति के बारे में उन्हें सूचित करेगा।

अगर आपके मकानमालिक मकानमालिक के लिए शर्तों को स्वीकार नहीं करते हैं, तो आपके घर को इस प्रोग्राम की सेवाएं प्राप्त नहीं होगी, तब भी जब आप पात्रता आवश्यकताएं पूरी करते हों और आपको लॉटरी में चुना गया हो।

यह फॉर्म एक घर के लिए एक से अधिक बार न भरें। एकाधिक बार सबमिशन करने से आपके सहायता प्राप्त करने के अवसर बढ़ेंगे नहीं और इससे संसाधन का समय बढ़ सकता है।

सवाल हैं? इन से संपर्क करें: CommerceRAgrant@kingcounty.gov